प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय,बिलासपुर

आदेश सुरक्षित किया गया :10.12.2025

आदेश पारित किया गयाः19.12.2025

रिट याचिका सेवा सं 1705/2023

1–डॉ. आरिफ खान पिता श्री सफीउल्ला खान, उम्र लगभग 51 वर्ष, निवासी क्वार्टर नंबर डी–3, एनआईटी कैंपस, जी.ई. रोड, रायपुर, जिला:रायपुर, छत्तीसगढ़

---याचिकाकर्तागण

बनाम

1 – भारत संघ, सचिव के द्वारा , शिक्षा मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली

2 – निदेशक, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जी. ई. रोड, रायपुर जिला रायपुर छत्तीसगढ़।

---उत्तरवादीगण

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(वाद कारण सी. आई. एस. प्रणाली से लिया गया है)

याचिकाकर्ता हेतु:--सुश्री हमीदा सिद्दीकी, अधिवक्ता

उत्तरवादी सं 1 हेतु : -- श्री रमाकांत मिश्रा, उप सॉलिसिटर जनरल, श्री तुषार धर दीवान और श्री नीरज बघेल, अधिवक्ता

उत्तरवादी सं 2 हेतु : -- श्री प्रतीक शर्मा, अधिवक्ता

माननीय श्री अमितेंद्र किशोर प्रसाद,न्यायाधीश

सी. ए. वी. आदेश

1. वर्तमान याचिका के माध्यम से याचिकाकर्ता ने माननीय न्यायालय में उत्तरवादी संख्या 2, अर्थात् राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी), रायपुर के निदेशक द्वारा दिनांक 23.02.2023 को पारित आदेश (अनुलग्नक पी–1) को चुनौती दी है, जिसके तहत यह निर्णय लिया गया है कि याचिकाकर्ता को संस्थान के रजिस्ट्रार के पद पर नियुक्त नहीं किया जाएगा।याचिकाकर्ता का यह विशिष्ट प्रकरण है कि आक्षेपित आदेश मनमाने, सनकी और अनुचित तरीके से, विधि के किसी भी अधिकार के बिना पारित किया गया है, और इसलिए यह अवैध, शून्य तथा अपास्त योग्य है।याचिकाकर्ता का तर्क है कि उक्त कार्यवाही राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम, 2007 के प्रावधानों और रजिस्ट्रार की नियुक्ति और निरंतरता को नियंत्रित करने वाले वैधानिक नियमों के साथ–साथ इस क्षेत्र पर लागू विधि के स्थापित सिद्धांतों के विपरीत है।इसके अलावा यह

निवेदन किया जाता है कि आक्षेपित आदेश संस्थान के प्रभारी निदेशक की दिनांक 21.02.2023 को हुई बैठक के बाद जारी किया गया है, जिसमें याचिकाकर्ता को न तो बुलाया गया और न ही उसे सुनवाई का कोई अवसर दिया गया था।यह निर्णय प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पूर्णतः उल्लंघन करते हुए लिया गया है, इसलिए आक्षेपित आदेश विधि की दृष्टि से स्पष्ट रूप से त्रुटिपूर्ण है।अतः, इस न्यायालय से निम्नलिखित अनुतोष प्रदान करने हेतु यह याचिका दायर की गई है:–

"10.1 यह कि, माननीय न्यायालय कृपया दिनांक 23–02–2023 के आक्षेपित आदेश (अनुलग्नक पी–1) को रद्द/अपास्त करने की कृपा करे।

10.2 यह कि, माननीय न्यायालय उत्तरवादी अधिकारियों को याचिकाकर्ता को रजिस्ट्रार, एनआईटी, रायपुर (सीजी) के पद पर कार्य करने की स्वीकृति देने का निर्देश देने की कृपा करें।

10.3 यह कि, न्याय के हित में, इस माननीय न्यायालय द्वारा उचित समझी जाने वाली कोई अन्य अनुतोष भी याचिकाकर्ता के पक्ष में पारित की जावे।"

2. याचिका में प्रस्तुत प्रकरण के तथ्य यह हैं कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रायपुर के रजिस्ट्रार ने दिनांक 24.01.2020 को रजिस्ट्रार के एक रिक्त पद के लिए आवेदन आमंत्रित करते हुए एक विज्ञापन जारी किया। कोविड–19 महामारी के प्रकोप के कारण भर्ती प्रक्रिया में विलंब हुआ; हालांकि, एक विधिवत गठित चयन/भर्ती समिति का गठन किया गया, जिसमें एनआईटी रायपुर के निदेशक, एनआईटी जमशेदपुर के एक प्रोफेसर, एनआईटी जालंधर के रजिस्ट्रार, रायपुर के एक सेवानिवृत्त मुख्य अभियंता शामिल थे, और उत्तरवादी संख्या 2 समिति के अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे थे।विज्ञापन में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया था कि भर्ती प्रक्रिया भर्ती नियम, 2019 के अनुसार होगी, जो इसके साथ संलग्न थे।उक्त चयन प्रक्रिया के परिणामस्वरूप, याचिकाकर्ता को दिनांक 22.02.2021 के आदेश द्वारा एनआईटी रायपुर में रजिस्ट्रार के पद पर नियुक्त किया गया और उन्होंने 24.02.2021 को कार्यभार ग्रहण किया।यह नियुक्ति भर्ती नियम, 2019 के अनुसार की गई है, जिसमें यह प्रावधान है कि रजिस्ट्रार का पद निर्धारित शर्तों के अधीन पांच वर्ष की निश्चित अवधि के लिए भरा जाना है।याचिकाकर्ता ने पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया, और उनके प्रदर्शन का पुनर्विलोकन 25.02.2022 को आयोजित बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की 52 वीं बैठक में की गई।याचिकाकर्ता, प्रस्तुतकर्ता अधिकारी होने के नाते, बैठक में केवल अनुमत सीमा तक ही उपस्थित रहे और उसके बाद जब उनके प्रदर्शन पर विचार किया जाने लगा तो उन्होंने स्वयं को बैठक से अलग कर लिया ।उक्त बैठक में, एजेंडा में याचिकाकर्ता के प्रदर्शन की पुनर्विलोकन तथा उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पांच वर्ष की अवधि के लिए उनकी नियुक्ति की पुष्टि करना शामिल था।बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने उचित विचार–विमर्श के बाद याचिकाकर्ता के प्रदर्शन को संतोषजनक पाया और अध्यक्ष द्वारा दी गई स्वीकृति को अनुमोदित करते हुए उनकी नियुक्ति की पुष्टि करने का संकल्प लिया।यद्यपि बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के उपरोक्त निर्णय की सूचना याचिकाकर्ता को दिनांक 10.03.2022 के पत्र के माध्यम से दी गई थी, फिर भी उत्तरवादी संख्या 2 द्वारा याचिकाकर्ता की पांच वर्ष की निश्चित अवधि के लिए नियुक्ति की पुष्टि या विस्तार करने का कोई औपचारिक आदेश जारी नहीं किया गया, जबकि भर्ती नियम, 2019 और एनआईटी विधान के खंड 21(1) के तहत स्पष्ट

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

रूप से यह प्रावधान है कि रजिस्ट्रार की नियुक्ति प्रतिनियुक्ति या संविदा आधार पर अधिकतम पांच वर्ष की निश्चित अवधि के लिए की जाएगी।औपचारिक नियुक्ति आदेश जारी न होने से व्यथित होकर याचिकाकर्ता ने दिनांक 11.03.2022 को उत्तरवादी संख्या 2 को एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया।याचिकाकर्ता ने प्रस्तुत किया कि देश भर के विभिन्न राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में, जिनमें एनआईटी श्रीनगर और एनआईटी सूरत शामिल हैं, रजिस्ट्रारों की नियुक्ति वैधानिक प्रावधानों के अनुसार पांच वर्ष के निश्चित कार्यकाल के लिए की गई है, जो यह दर्शाता है कि याचिकाकर्ता के प्रकरण में एक पृथक तथा भेदभावपूर्ण मापदंड अपनाया गया है।याचिकाकर्ता के कार्यकाल के दौरान, एनआईटी रायपुर के कुछ व्यक्तियों द्वारा उनकी नियुक्ति के संबंध में कुछ परिवाद दायर किया गया ; हालांकि, भर्ती समिति के अध्यक्ष और उत्तरवादी संख्या 2 द्वारा उनकी विधिवत जांच की गई और उनका जवाब दिया गया, और यह कभी नहीं पाया गया कि याचिकाकर्ता की नियुक्ति अनियमित या अवैध थी। जब याचिकाकर्ता ने उत्तरवादी संख्या 1 और 2 के समक्ष अपनी नियुक्ति की प्रकृति और अवधि में विसंगति का विवाद्यक उठाया, तो इस मामले को 17.10.2022 को आयोजित बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की 55 वीं बैठक में एजेंडा आइटम संख्या 55.6 के रूप में रखा गया, लेकिन इस विवाद्यक को अगली बैठक के लिए स्थगित कर दिया गया, जो उत्तरवादी अधिकारियों की ओर से प्रतिकूल और पूर्वाग्रही दृष्टिकोण को दर्शाता है।इसके बाद, याचिकाकर्ता को दी गई कुछ शक्तियों को दिनांक 11.08.2022 के पत्र के माध्यम से कम कर दिया गया और अन्य अधिकारियों को हस्तांतरित कर दिया गया, और बाद में, दिनांक 06.01.2023 के आदेश के माध्यम से, याचिकाकर्ता की वित्तीय शक्तियों को उसे सुनवाई का कोई अवसर दिए बिना वापस ले लिया गया, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का स्पष्ट उल्लंघन है और राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम, 2007 के प्रावधानों, विशेष रूप से धारा 18(1) के विपरीत है, जो रजिस्ट्रार को संस्थान के निधियों का संरक्षक घोषित करता है।याचिकाकर्ता की सेवाएं राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम, 2007, उसके अंतर्गत वर्ष 2009 में निर्मित नियमों और भर्ती नियमों, 2019 द्वारा शासित हैं, जिनमें से सभी स्पष्ट रूप से रजिस्ट्रार की नियुक्ति पांच वर्ष की निश्चित अवधि के लिए प्रदान करते हैं और संस्थान के भीतर उनके कर्तव्यों, शक्तियों और स्थिति को परिभाषित करते हैं।इस स्पष्ट वैधानिक ढांचे के बावजूद, याचिकाकर्ता के साथ मनमाना और भेदभावपूर्ण व्यवहार किया गया था।06.01.2023 के उस आदेश से व्यथित होकर, जिसमें उसकी वित्तीय शक्तियाँ वापस ले ली गई थीं, याचिकाकर्ता को रिट याचिका संख्या डब्ल्यू. पी. एस./897/2023 दायर करने के लिए विवश होना पड़ा, जिसमें विधिक कार्यवाही पहले ही पूरी हो चुकी है।उक्त कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान, उत्तरवादी अधिकारियों ने पूर्वनिर्धारित आशय से कार्य करते हुए, अंततः याचिकाकर्ता को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किए बिना, विधिवत नियुक्त निदेशक के बिना, और स्पष्ट रूप से मनमाने, अवैध और अस्थिर तरीके से सेवा से हटा दिया, जिससे वर्तमान वाद का कारण उत्पन्न हुआ।

3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि दिनांक 23.02.2023 का आक्षेपित आदेश (अनुलग्नक पी–1), जिसके द्वारा याचिकाकर्ता की राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रायपुर में रजिस्ट्रार के पद पर नियुक्ति को 23.02.2023 के बाद जारी न रखने का निर्णय लिया गया है, स्पष्ट रूप से अवैध, मनमाना और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन है।यह आदेश यांत्रिक और मनमाने ढंग से पारित किया गया है, जिसमें राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम, 2007, उसके अंतर्गत निर्मित नियमों और भर्ती नियमों, 2019 के

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

तहत रजिस्ट्रार की नियुक्ति और कार्यकाल को नियंत्रित करने वाले वैधानिक ढांचे का पालन नहीं किया गया है, तथा इसलिए इसे रद्द किये जाने योग्य है तथा तदनुसार अपास्त किया जाता है।इसके अलावा यह निवेदन किया जाता है कि याचिकाकर्ता को सुनवाई का कोई अवसर दिए बिना ही आक्षेपित आदेश पारित किया गया है।याचिकाकर्ता को उसकी नियुक्ति समाप्त करने का कठोर निर्णय लेने से पहले न तो कोई कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, न ही कोई स्पष्टीकरण दिया गया और न ही कोई पूर्व सूचना दी गई।याचिकाकर्ता को न तो शासी मंडल की किसी बैठक के आयोजन की सूचना दी गई और न ही उसे उक्त निकाय के समक्ष अपना पक्ष रखने का अवसर दिया गया।यह कार्यवाही ऑडी अल्टरम पार्टेम नियम का घोर उल्लंघन है तथा आक्षेपित आदेश को प्रारंभ से ही अमान्य घोषित करती है।विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि उत्तरवादी अधिकारियों की कार्यवाही राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के प्रथम विधान के भी विपरीत है, जिसमें शासी मंडल की बैठकों के संचालन और वैधानिक पदों को प्रभावित करने वाले निर्णयों के लिए निर्धारित तरीके बताए गए हैं। तथाकथित निर्णय 21.02.2023 को हुई "विशेष शासी मंडल बैठक" में अनिवार्य वैधानिक प्रक्रिया का पालन किए बिना और विधानों तथा भर्ती नियम, 2019 के तहत आवश्यक प्रदर्शन समीक्षा समिति का गठन किए बिना लिया गया है।इस प्रकार, निर्णय लेने की प्रक्रिया अपने आप में अवैध तथा दूषित है।यह तर्क दिया गया है कि याचिकाकर्ता के मामले में उत्तरवादीगण ने पूरी तरह से भेदभावपूर्ण दृष्टिकोण अपनाया है, और अन्य राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में समान रूप से कार्यरत रजिस्ट्रारों की तुलना में याचिकाकर्ता के साथ अलग मापदंड लागू किया है, जिन्हें विधि के अनुसार पांच वर्ष के निश्चित कार्यकाल के लिए नियुक्त किया गया है। इस प्रकार का भेदभावपूर्ण व्यवहार, बिना किसी उचित वर्गीकरण या औचित्य के, मनमाना है और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. विद्वान अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता के प्रदर्शन की पुनर्विलोकन 25.02.2022 को आयोजित बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की 52 वीं बैठक में विधिवत रूप से की जा चुकी थी, जिसमें उनका प्रदर्शन संतोषजनक पाया गया था और पांच वर्ष की अवधि के लिए उनकी नियुक्ति को अनुमोदित और पुष्टि की गई थी। एक बार सक्षम प्राधिकारी द्वारा उचित विचार–विमर्श के बाद याचिकाकर्ता के प्रदर्शन की पुनर्विलोकन करने और उसे संतोषजनक पाए जाने के बाद, उसी विवाद्यक को दोबारा नहीं उठाया जा सकता था या उसकी दोबारा पुनर्विलोकन नहीं की जा सकती थी, विशेष रूप से तब जब प्रतिकूल सामग्री के अभाव में किसी भी प्रकार की दूसरी या पूर्वव्यापी पुनर्विलोकन की अनुमति देने वाला कोई प्रावधान विधि या नियमों के अंतर्गत नहीं है।यह भी निवेदन किया जाता है कि उत्तरवादी की संपूर्ण कार्यवाही दुर्भावना से प्रेरित है। याचिकाकर्ता स्वतंत्र रूप से तथा विधि के अनुसार ही कार्य कर रहा था, और वह किसी अधिकारी के निर्देशों का पालन नहीं कर रहा था।इसी कारणवश, उत्तरवादीगण ने याचिकाकर्ता को उसके पद से हटाने के पूर्व–निर्धारित इरादे से उसके विरुद्ध गुटबंदी कर ली; यह बात जिस प्रकार से उसकी शक्तियों को सीमित किया गया, बिना किसी पूर्व सूचना के उसके विरुद्ध प्रतिकूल कार्यवाही की गई, और अंततः उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना उसकी नियुक्ति को समाप्त कर दिया गया—इन सभी तथ्यों से स्पष्ट है।विद्वान अधिवक्ता ने इस बात पर जोर दिया कि दिनांक 24.01.2020 के विज्ञापन में स्पष्ट रूप से यह प्रावधान था कि रजिस्ट्रार के पद पर नियुक्ति भर्ती नियम, 2019 द्वारा शासित होगी, जिसमें यह निर्धारित है कि नियुक्ति पांच वर्ष की अवधि के लिए

होगी, जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स द्वारा गठित एक समिति द्वारा पुनर्विलोकन के अधीन होगी।याचिकाकर्ता की नियुक्ति को समय से पहले समाप्त करने का आक्षेपित आदेश, विज्ञापन, भर्ती नियमों और वैधानिक योजना के प्रावधानों के सीधे विपरीत है।यह भी निवेदन किया जाता है कि उस समय, एनआईटी अधिनियम, 2007 की धारा 11 के तहत आवश्यक बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के लिए विधिवत नियुक्त अध्यक्ष मौजूद नहीं थे।अध्यक्ष का पद—का पद—जिसके लिए विज़िटर (भारत के माननीय राष्ट्रपति) द्वारा नामांकन किया जाना था—रिक्त था; और कथित तौर पर बैठक की अध्यक्षता एक 'प्रभारी निदेशक' द्वारा की गई, जो केवल एक वरिष्ठ संकाय सदस्य थे और जिन्हें 'अधिनियम' के अनुसार निदेशक के पद पर नियुक्त नहीं किया गया था।ऐसी परिस्थितियों में, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की तथाकथित 56 वीं बैठक याचिकाकर्ता के कार्यकाल को प्रभावित करने वाला कोई भी निर्णय लेने के लिए विधिक रूप से सक्षम और अधिकारहीन थी।विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा कि याचिकाकर्ता को कभी भी असंतोषजनक प्रदर्शन या कदाचार के आरोप में कोई कारण बताओ नोटिस जारी नहीं किया गया था। प्रदर्शन के संबंध में किसी भी प्रतिकूल टिप्पणी, परिवाद या निष्कर्ष के अभाव में, याचिकाकर्ता की नियुक्ति समाप्त करने की कठोर कार्यवाही पूरी तरह से अनुचित और विधि की दृष्टि से अस्वीकार्य है।यह भी उल्लेख किया गया है कि 23.02.2023 को उत्तरवादीगण ने इस प्रकरण में कोई जवाब दाखिल तक नहीं किया, और अधिवक्ता शाम लगभग 4 बजे बिना यह बताए उपस्थित हुए कि बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की कोई विशेष बैठक बुलाई गई थी या ऐसा कोई निर्णय लिया जाना प्रस्तावित था।यह आचरण निर्णय लेने की प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता की कमी को और भी स्पष्ट रूप से दर्शाता है।विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि पहली कार्य–मूल्यांकन पुनर्विलोकन में याचिकाकर्ता को विधिवत सूचित किया गया, बुलाया गया और उसे अनुमत सीमा तक भाग लेने का अवसर दिया गया।हालांकि, वर्तमान प्रकरण में, उसे पद से हटाने के स्पष्ट आशय से, याचिकाकर्ता को जानबूझकर अंधेरे में रखा गया और उसे बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की किसी भी बैठक के संचालन के बारे में सूचित नहीं किया गया, जिससे उसे उचित अवसर से वंचित किया गया।यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि कोई भी फाइल या प्रस्ताव याचिकाकर्ता के माध्यम से नहीं भेजा गया था, जो रजिस्ट्रार होने के नाते बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के सचिव भी हैं और कानूनन एजेंडा तैयार करने और बैठकों को सुगम बनाने के लिए बाध्य हैं। कथित बैठक के आयोजन और संचालन में रजिस्ट्रार की पूरी तरह से अनदेखी करना ही पूरी प्रक्रिया को अमान्य कर देता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

5. विद्वान अधिवक्ता ने यह भी प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता द्वारा 11.03.2022 को संतोषजनक प्रदर्शन पुनर्विलोकन के आधार पर उनके पांच वर्ष के कार्यकाल की पुष्टि करने के लिए औपचारिक आदेश जारी करने की मांग वाले अभ्यावेदन के बावजूद, उत्तरवादीगण ने पूरी तरह से चुप्पी साधे रखी और इस संबंध में कभी कोई निर्णय नहीं सुनाया, जो स्वयं मनमानी और अनुचित व्यवहार को दर्शाता है।इस प्रकरण में **माननीय सर्वोच्च न्यायालय के संदीप कुमार बनाम जी.बी. पंत इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, घुदौरी और अन्य (2024 आई. एन. एस. सी 309) और डॉ. सुनीता चंद्र बनाम भारत संघ के निर्णयों पर भरोसा किया गया है,** जिनमें यह अभिनिर्धारित किया गया है कि निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन किए बिना और शासी कानूनों और नियमों का कड़ाई से अनुपालन किए बिना वैधानिक नियुक्तियों को कम या समाप्त नहीं किया जा सकता है।उपरोक्त तथ्यों और तर्क के तहत, याचिकाकर्ता

के विद्वान अधिवक्ता का निवेदन है कि दिनांक 23.02.2023 का आक्षेपित आदेश विधिवत रूप से मान्य नहीं है और इसे रद्द किए जाने के योग्य है।

6. उत्तरवादी संख्या 1 के विद्वान अधिवक्ता का निवेदन है कि उत्तरवादी संख्या 1 वह वैधानिक प्राधिकरण है जिसने राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम, 2007 और इसके बाद के संशोधनों को अधिनियमित किया है और उसका प्रशासन करता है।सभी राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों का कामकाज, प्रशासन और संचालन उक्त अधिनियम, उसके अंतर्गत निर्मित नियमों और अध्यादेशों के प्रावधानों द्वारा कठोरता से विनियमित होता है। अधिनियम की धारा 8 के अनुसार, प्रत्येक संस्थान की सभी शिक्षण और संस्थागत गतिविधियाँ संस्थान द्वारा या संस्थान के नाम पर संबंधित नियमों और अध्यादेशों के अनुसार संचालित की जानी आवश्यक हैं, और किसी भी कार्य को वैधानिक ढांचे से बाहर नहीं माना जा सकता है।यह निवेदन किया जाता है कि अधिनियम की धारा 13 के अधीन, अधिनियम के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, प्रत्येक संस्थान के शासी मंडल को संस्थान के कार्यों के सामान्य पर्यवेक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का दायित्व सौंपा गया है और उसे संस्थान की उन सभी शक्तियों का प्रयोग करने का अधिकार है जो अधिनियम में अन्यथा प्रदान नहीं की गई हैं। इस प्रकार शासी मंडल संस्थान स्तर पर सर्वोच्च निर्णय लेने वाला प्राधिकरण है और अधिनियम एवं नियमों के अनुसार लिए गए उसके निर्णय बाध्यकारी और विधिक रूप से वैध होते हैं।विद्वान अधिवक्ता ने आगे निवेदन किया कि अधिनियम की धारा 17 के अनुसार, किसी संस्थान के निदेशक और उप निदेशक की नियुक्ति विजिटर द्वारा ऐसे नियमों और शर्तों के अनुसार और ऐसे तरीके से की जाती है जैसा कि अधिनियम में निर्धारित किया गया हो।संस्थान के प्रमुख शैक्षणिक और कार्यकारी अधिकारी होने के नाते, निदेशक संस्थान के उचित प्रशासन, शिक्षण प्रदान करने और उसमें अनुशासन बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होता है।रजिस्ट्रार, बदले में, वैधानिक योजना के अनुसार निदेशक के समग्र प्रशासनिक पर्यवेक्षण के तहत कार्य करता है। आगे यह निवेदन किया जाता है कि अधिनियम की धारा 18 में स्पष्ट रूप से यह प्रावधान है कि प्रत्येक संस्थान के रजिस्ट्रार की नियुक्ति नियमों और शर्तों के अनुसार की जाएगी और वह अभिलेखों, सार्वजनिक मुहर, संस्थान की निधियों और बोर्ड द्वारा उसे सौंपी गई अन्य संपत्तियों का संरक्षक होगा।रजिस्ट्रार को शासी मंडल, सीनेट और अन्य निर्धारित समितियों के सचिव के रूप में कार्य करना आवश्यक है और वह अधिनियम, नियमों या निदेशक द्वारा सौंपे गए कर्तव्यों के उचित निर्वहन के लिए निदेशक के प्रति उत्तरदायी है।इस प्रकार, रजिस्ट्रार की नियुक्ति, कार्यकाल और पद पर बने रहना पूरी तरह से अधिनियम के अंतर्गत वैधानिक प्रावधानों और सक्षम प्राधिकारियों के निर्णयों द्वारा नियंत्रित होता है। विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रायपुर में रजिस्ट्रार के पद पर विशुद्ध रूप से अल्पकालिक संविदा के आधार पर नियुक्ति का प्रस्ताव दिया गया था।दिनांक 24.01.2020 के विज्ञापन और लागू एनआईटीएसईआर नियमों की स्पष्ट शर्तों के अनुसार, नियुक्ति प्रारंभ में एक वर्ष की अवधि के लिए थी, जिसे एक बार में अधिकतम एक वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता था, और अधिकतम कार्यकाल पाँच वर्ष का था।प्रत्येक कार्यकाल विस्तार को विधिवत गठित प्रदर्शन समीक्षा समिति की अनुकूल अनुशंसा और शासी मंडल की स्वीकृति पर ही निर्भर बनाया गया था।इन प्रावधानों के अनुसार, उत्तरवादी संख्या 2 ने 22.02.2021 को अल्पकालिक संविदा के आधार पर नियुक्ति पत्र जारी किया।इसके अलावा यह भी निवेदन किया जाता है कि दिनांक 22.02.2021 के नियुक्ति

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

पत्र के अनुसार, याचिकाकर्ता और एनआईटी रायपुर के बीच एक औपचारिक करार किया गया था जिसमें स्पष्ट रूप से यह निर्धारित किया गया था कि नियुक्ति अल्पकालिक संविदात्मक आधार पर थी, प्रारंभ में एक वर्ष के लिए, और पुनर्विलोकन समिति द्वारा किए गए संतोषजनक प्रदर्शन के आधार पर ही विस्तार प्रदान किया जाएगा।याचिकाकर्ता ने बिना किसी विरोध के सभी नियम और शर्तें स्वीकार कर लीं, बिना किसी शर्त के पदभार ग्रहण किया और अपनी ज्वाइनिंग रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिससे वह अपनी नियुक्ति को नियंत्रित करने वाली संविदात्मक और वैधानिक शर्तों से बंध गया।विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि एनआईटी रायपुर के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की 56 वीं बैठक में याचिकाकर्ता की नियुक्ति के विस्तार से संबंधित मामले पर विधिवत विचार किया गया था।कार्य–प्रदर्शन समीक्षा समिति के निष्कर्षों और अनुशंसाओं के आधार पर और विस्तृत विचार–विमर्श के बाद, शासी मंडल ने अधिनियम के अंतर्गत अपनी वैधानिक शक्तियों का प्रयोग करते हुए, डॉ. आरिफ खान की रजिस्ट्रार पद पर नियुक्ति को 23.02.2023 के बाद आगे न बढ़ाने का विवेकपूर्ण निर्णय लिया।यह निर्णय निर्धारित प्रक्रिया और लागू वैधानिक ढांचे के अनुसार ही लिया गया है।यह निवेदन किया जाता है कि याचिकाकर्ता की सेवाएं समाप्त नहीं की गईं, बल्कि उनकी संविदात्मक नियुक्ति को निर्धारित अवधि से आगे नहीं बढ़ाया गया था।सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदर्शन पुनर्विलोकन तथा निर्णय के आधार पर निश्चित अवधि के संविदात्मक नियुक्ति का विस्तार न करना दंडात्मक कार्यवाही या सेवा से बर्खास्तगी नहीं है और इस पर नियमित सेवा समाप्ति के सिद्धांत लागू नहीं होते हैं।यह निर्णय सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् शासी मंडल द्वारा, एनआईटीएसईआर अधिनियम, 2007 और लागू नियमों के अनुसार लिया गया था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7. उत्तरवादी संख्या 1 के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि याचिकाकर्ता के किसी भी विधिक, वैधानिक या मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं किया गया है।याचिकाकर्ता को संविदात्मक नियुक्ति के विस्तार का दावा करने का कोई निहित या अविभाज्य अधिकार नहीं है, जो आवधिक पुनर्विलोकन तथा अनुमोदन के अधीन है। किसी वैधानिक प्रावधान के उल्लंघन या सिद्ध प्रक्रियात्मक अनियमितता के अभाव में, याचिकाकर्ता इस न्यायालय के असाधारण रिट क्षेत्राधिकार का सहारा नहीं ले सकता है।अत: निवेदन है कि वर्तमान रिट याचिका विचारणीय नहीं है, क्योंकि इसमें न्यायिक समीक्षा की आवश्यकता वाले किसी भी प्रकार के अवैधता, मनमानी या प्रक्रियात्मक अनियमितता का खुलासा नहीं होता है।याचिका सारहीन है और यह एक वैध प्रशासनिक निर्णय में हस्तक्षेप करने का प्रयास करती है।तदनुसार उत्तरवादी संख्या 1 ने प्रार्थना की है कि न्यायालय इस रिट याचिका को खारिज करने की कृपा करे।

8. उत्तरवादी संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि इस रिट याचिका में मांगे गये अनुतोष का सरसरी तौर पर अवलोकन करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि चुनौती केवल दिनांक 23.02.2023 के परिणामी आदेश के विरुद्ध निर्देशित है, जिसके द्वारा याचिकाकर्ता का संविदात्मक कार्यकाल उस तिथि से आगे नहीं बढ़ाया गया था।उक्त आदेश बोर्ड ऑफ गवर्नर्स द्वारा दिनांक 21.02.2023 को हुई बैठक में लिए गए निर्णय के अनुपालन में जारी किया गया था।बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का दिनांक 21.02.2023 का मूल निर्णय, जो आक्षेपित परिणामी आदेश का आधार है, याचिकाकर्ता द्वारा चुनौती नहीं दी गई है।सक्षम प्राधिकारी के मूल निर्णय को चुनौती न दिए जाने की स्थिति में, यह रिट याचिका, जो केवल परिणामी आदेश को चुनौती देने का

प्रयास करती है, विधि की दृष्टि से स्वीकार्य नहीं है और केवल इसी आधार पर खारिज किए जाने योग्य है।आगे यह निवेदन किया जाता है कि यद्यपि याचिकाकर्ता ने याचिका के कंडिका 8.1 और 9.6 में पूर्वाग्रह और दुर्भावना के अस्पष्ट और व्यापक आरोप लगाए हैं, फिर भी ऐसे किसी भी व्यक्ति का नाम लेकर प्रतिवादी नहीं बनाया गया है जिसके विरुद्ध ये आरोप लगाए गए हैं।यह विधि का एक स्थापित सिद्धांत है कि दुर्भावना या पक्षपात के आरोप केवल निराधार दावों के आधार पर, संबंधित व्यक्तियों को पक्षकार बनाए बिना और उचित तथ्यात्मक आधार प्रस्तुत किए बिना मान्य नहीं हो सकते है।विशिष्ट अभिवचनों तथा आवश्यक पक्षकारों के अभाव में, ऐसे आरोप सीधे तौर पर खारिज किए जाने योग्य हैं, जिससे रिट याचिका निराधार हो जाती है। विद्वान अधिवक्ता आगे प्रस्तुत करते हैं कि याचिकाकर्ता को दिनांक 24.01.2020 के विज्ञापन के अनुसार दिनांक 22.02.2021 के नियुक्ति आदेश के माध्यम से विशुद्ध रूप से संविदात्मक आधार पर एनआईटी रायपुर के रजिस्ट्रार के पद पर नियुक्त किया गया था, जिसमें स्पष्ट रूप से यह निर्धारित किया गया था कि नियुक्ति प्रारंभ में एक वर्ष के लिए होगी, जिसे संतोषजनक प्रदर्शन पुनर्विलोकन और बोर्ड ऑफ गवर्नर्स द्वारा गठित समीक्षा समिति की सिफारिश के अधीन, अधिकतम पांच वर्षों की अवधि के लिए एक बार में एक वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता है।नियुक्ति आदेश में स्पष्ट रूप से यह प्रावधान था कि प्रस्ताव सभी नियमों और शर्तों की स्वीकृति के अधीन था, जिसे याचिकाकर्ता ने बिना किसी शर्त के स्वीकार कर लिया और बिना किसी आपत्ति या विरोध के 24.02.2021 को पदभार ग्रहण कर लिया।यह निवेदन किया जाता है कि एक वर्ष पूरा होने पर याचिकाकर्ता के प्रदर्शन की पुनर्विलोकन की गई, और यद्यपि बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने 25.02.2022 को अपनी बैठक में प्रदर्शन पुनर्विलोकन रिपोर्ट को संतोषजनक मानते हुए पुष्टि की, फिर भी पांच वर्ष का कार्यकाल प्रदान करने का कोई निर्णय नहीं लिया गया था।इस स्थिति को निदेशक के दिनांक 10.03.2022 के पत्र द्वारा और स्पष्ट किया गया, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया कि धारा 21(3) के अनुसार केवल एक वर्ष की सेवा संतोषजनक रूप से पूरी हुई है।याचिकाकर्ता ने स्वयं दिनांक 11.03.2022 और 27.06.2022 के अभ्यावेदनों के माध्यम से नियुक्ति आदेश में संशोधन की मांग की, जिससे स्पष्ट होता है कि याचिकाकर्ता भी यह समझता था कि उसकी नियुक्ति पांच वर्ष की निश्चित अवधि के लिए नहीं थी।यह अभ्यावेदन 17.10.2022 को हुई बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की बैठक में रखा गया था, जहां अगली बैठक में इस एजेंडा पर विचार करने का निर्णय लिया गया था।विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने 21.02.2023 को हुई अपनी विधिवत बैठक में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए, याचिकाकर्ता की संविदा सेवा को 23.02.2023 के बाद आगे न बढ़ाने का स्पष्ट निर्णय लिया और तदनुसार, 23.02.2023 को परिणामी आदेश जारी किया गया।निर्णय लेने की प्रक्रिया वैध, पारदर्शी और एनआईटी अधिनियम, 2007 और उसके तहत बनाए गए कानूनों के पूर्णतया अनुरूप थी।दिनांक 21.02.2023 को हुई बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की बैठक विधिवत गठित की गई थी और इसमें शिक्षा मंत्रालय (प्रशासन और वित्त) के निदेशक, संयुक्त सचिव, राज्य सरकार के नामित सदस्य और वरिष्ठ शैक्षणिक सदस्य सहित वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे, जिससे मनमानी या दुर्भावना के किसी भी आरोप का पूर्णतः खंडन होता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9. उत्तरवादी संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता आगे यह प्रस्तुत किया गया है कि याचिकाकर्ता ने स्वच्छ नीयत से इस न्यायालय में याचिका दायर नहीं की है, क्योंकि उसने जानबूझकर रिट याचिका के साथ असंशोधित क़ानून

संख्या 21 को दाखिल किया है, जबकि क़ानून संख्या 21 को राजपत्र अधिसूचना दिनांक 21.07.2017 द्वारा संशोधित किया गया था, जिसके द्वारा उप–धारा 21(3) को सम्मिलित किया गया था।याचिकाकर्ता ने अपना पूरा दावा याचिका के पृष्ठ 82 पर उल्लिखित अपरिवर्तित क़ानून पर आधारित किया है, जिसका स्पष्ट उद्देश्य इस न्यायालय को गुमराह करना और अनुचित लाभ प्राप्त करना है।महत्वपूर्ण तथ्यों को इस प्रकार दबाने से याचिकाकर्ता संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत किसी भी न्यायसंगत अनुतोष से वंचित हो जाता है, जैसा कि **माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दलीप सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य के मामले में 2010 (2) एससीसी 144 में रिपोर्ट किया है।**विद्वान अधिवक्ता ने आगे निवेदन किया कि याचिकाकर्ता की संविदा सेवा अवधि के विस्तार से इनकार करने का आदेश मात्र एक सामान्य आदेश है, इससे याचिकाकर्ता पर कोई कलंक नहीं लगता और न ही यह याचिकाकर्ता के किसी निहित अधिकार का उल्लंघन करता है।यह निर्णय राष्ट्रीय शिक्षा संस्थानों में संविदात्मक नियुक्तियों को नियंत्रित करने वाले वैधानिक ढांचे के अनुसार ही लिया गया है। निश्चित अवधि की संविदात्मक नियुक्तियों के विस्तार न करने के प्रकरण में, कारण बताओ नोटिस या पूर्व सुनवाई की आवश्यकता नहीं होती है, और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत लागू नहीं होते हैं।आगे यह भी निवेदन किया गया है कि याचिकाकर्ता ने संविदात्मक नियुक्ति को खुली आँखों से स्वीकार किया था और दो वर्षों से अधिक समय तक इससे प्राप्त सभी लाभों का आनंद लिया था, इसलिए अब वह उन्हीं नियमों और शर्तों को चुनौती देकर उनका समर्थन और खंडन नहीं कर सकता जिन्हें उसने पहले बिना शर्त स्वीकार किया था।ऐसा आचरण कानून में अस्वीकार्य है, जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **अनुपाल सिंह और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के मामले में (2020) 2 एससीसी 173 और रंजन कुमार और अन्य बनाम बिहार राज्य और अन्य के प्रकरण में (2014) 16 एससीसी 187** में अभिनिर्धारित किया गया है।विद्वान अधिवक्ता यह भी प्रस्तुत करते हैं कि वर्तमान रिट याचिका इस अतिरिक्त कारण से भी विचारणीय नहीं है कि याचिकाकर्ता ने 21.02.2023 के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के निर्णय को चुनौती नहीं दी है, और न ही उसने पुनर्विलोकन समिति के गठन या निर्णय लेने की प्रक्रिया को चुनौती देने वाला कोई तर्क प्रस्तुत की हैं।माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **यूनियन ऑफ इंडिया और अन्य बनाम प्रकाश सिंह और अन्य (ए. आई. आर. 2007 एस. सी 1363), स्टेट ऑफ महाराष्ट्र और अन्य बनाम नर्मदा एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड और अन्य (2010) 12 एस. सी. सी 419 और अविनाश गायकवाड़ और अन्य बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र और अन्य (2010) 11 एस. सी. सी 433** के प्रकरण में दिए गए विधि के अनुसार, तर्क के अभाव में मौखिक तर्क अस्वीकार्य है।इसके अलावा यह भी निवेदन किया जाता है कि वर्तमान रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान, याचिकाकर्ता को पहले ही भारत सरकार के कश्मीर केंद्रीय विश्वविद्यालय में वित्त अधिकारी के पद पर नियुक्त किया जा चुका है और वह वर्तमान में 13.12.2024 से वहां अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा है।इस बाद के घटनाक्रम को देखते हुए, रिट याचिका का आधार ही समाप्त हो गया है और यह निष्प्रभावी हो गई है, क्योंकि याचिकाकर्ता पहले से ही केंद्र सरकार के अधीन एक वरिष्ठ प्रशासनिक पद पर आसीन है।रिट याचिका का निर्णय आज की स्थिति के तथ्यों के आधार पर किया जाना आवश्यक है, और आज दिनांक में कोई भी लागू करने योग्य या जीवित वाद का कारण शेष नहीं है। उपरोक्त तथ्यों तथा प्रस्तुतियों को ध्यान में रखते हुए, उत्तरवादी संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता का निवेदन है

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

कि रिट याचिका में कोई सार नहीं है, यह विधिवत रूप से स्वीकार्य नहीं है, और इसे प्रारंभिक चरण में ही खर्च सहित खारिज कर दिया जाना चाहिए।

10. मैंने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्को विस्तार से सुनी हैं और अभिवेदनों, अभिलेखों में रखे गए दस्तावेजों और इस क्षेत्र को नियंत्रित करने वाले वैधानिक ढांचे का सावधानीपूर्वक अध्ययन किया है।

11. याचिकाकर्ता ने उत्तरवादी संख्या 2 द्वारा दिनांक 23.02.2023 को पारित आदेश को चुनौती देते हुए इस न्यायालय में याचिका दायर की है, जिसके तहत राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रायपुर के रजिस्ट्रार पद पर उनकी नियुक्ति को निर्धारित अवधि से आगे जारी नहीं रखने का निर्णय लिया गया था।

12. चुनौती के मुख्य आधार मनमानी, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम, 2007, क़ानून और भर्ती नियम, 2019 के प्रावधानों का उल्लंघन, साथ ही नोटिस और सुनवाई के अवसर के अभाव के कारण प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन हैं।अभिलेख से यह निर्विवाद है कि याचिकाकर्ता को 24.01.2020 के विज्ञापन के अनुसार विधिवत गठित चयन समिति द्वारा आयोजित नियमित चयन प्रक्रिया से गुजरने के बाद नियुक्त किया गया था, और उनकी नियुक्ति भर्ती नियम, 2019 द्वारा शासित थी।यह भी निर्विवाद है कि याचिकाकर्ता ने 24.02.2021 को पदभार ग्रहण किया और उसके बाद रजिस्ट्रार के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया। अभिलेख में मौजूद सामग्री से यह भी स्पष्ट होता है कि याचिकाकर्ता के प्रदर्शन की पुनर्विलोकन 25.02.2022 को आयोजित बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की 52 वीं बैठक में की गई थी।उक्त बैठक में, उचित विचार–विमर्श के बाद, बोर्ड ने याचिकाकर्ता के प्रदर्शन को संतोषजनक पाया और उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पांच वर्ष की अवधि के लिए उनकी नियुक्ति की पुष्टि करने का संकल्प लिया।यह निर्णय याचिकाकर्ता को दिनांक 10.03.2022 के पत्र के माध्यम से सूचित किया गया था।हालाँकि, इस स्वीकृति के बावजूद, याचिकाकर्ता के पाँच वर्ष के कार्यकाल की पुष्टि करने वाला कोई औपचारिक आदेश जारी नहीं किया गया, और बाद में याचिकाकर्ता को सुनवाई का कोई अवसर दिए बिना ही उसकी कुछ प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियों को कम कर दिया गया था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

13. दिनांक 23.02.2023 का आक्षेपित आदेश बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की दिनांक 21.02.2023 की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार जारी किया गया है, जिसके तहत याचिकाकर्ता की नियुक्ति को उसके तत्कालीन कार्यकाल से आगे नहीं बढ़ाने का निर्णय लिया गया था।याचिकाकर्ता को उक्त बैठक के बारे में सूचित नहीं किया गया था और न ही उसे बोर्ड के समक्ष अपना पक्ष रखने का कोई अवसर दिया गया था।वर्तमान प्रकरण के तथ्यों में, जहां सक्षम प्राधिकारी द्वारा याचिकाकर्ता के प्रदर्शन को पहले ही संतोषजनक पाया जा चुका था और उसकी कार्यकाल अवधि को पहले ही अनुमोदित कर दिया गया था, यह न्यायालय इस तर्क में सार पाता है कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन किए बिना उसकी निरंतरता को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने वाला कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता था।

14. साथ ही, न्यायालय इस तथ्य को नजरअंदाज नहीं कर सकता है कि याचिकाकर्ता की नियुक्ति संविदात्मक प्रकृति की थी, जो नियुक्ति पत्र, नियमों और भर्ती नियमों के प्रावधानों द्वारा शासित थी, जिनमें सक्षम प्राधिकारी

के निर्णय के अधीन आवधिक पुनर्विलोकन और विस्तार का प्रावधान है।उत्तरवादी ने यह तर्क दिया है कि याचिकाकर्ता की नियुक्ति को आगे न बढ़ाने का निर्णय बोर्ड ऑफ गवर्नर्स द्वारा अपनी वैधानिक शक्तियों का प्रयोग करते हुए लिया गया था और यह बर्खास्तगी या किसी प्रकार का कलंक लगाने के बराबर नहीं है।इस प्रकार प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियाँ से ज्ञात होता है कि विवाद याचिकाकर्ता के प्रदर्शन की खूबियों के बजाय एक संकीर्ण दायरे में निहित है, अर्थात् दिनांक 23.02.2023 के आक्षेपित आदेश में परिणत होने वाली निर्णय लेने की प्रक्रिया की वैधता से संबंधित है।इस न्यायालय की राय में, आक्षेपित आदेश प्रक्रियात्मक खामियों से ग्रस्त है, क्योंकि याचिकाकर्ता को प्रतिकूल नागरिक परिणामों वाले निर्णय लेने से पहले सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया था, विशेष रूप से उसके कार्यकाल की पूर्व स्वीकृति की पृष्ठभूमि में।

15. वर्तमान रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान, यह स्वीकार किया गया है कि याचिकाकर्ता को पहले ही भारत सरकार के कश्मीर केंद्रीय विश्वविद्यालय में वित्त अधिकारी के पद पर नियुक्त किया जा चुका है और वह वर्तमान में उक्त पद पर कार्यरत है।इस बाद के घटनाक्रम की जानकारी स्वयं उत्तरवादीगण द्वारा न्यायालय के संज्ञान में लाई गई है।

16. उपरोक्त बाद की नियुक्ति को देखते हुए, न्यायालय का यह सुविचारित मत है कि याचिकाकर्ता को एनआईटी रायपुर के रजिस्ट्रार पद पर बहाल करने या पद पर बने रहने के लिए परमादेश जारी करने से अब कोई लाभ नहीं होगा।साथ ही, आक्षेपित आदेश की वैधता पर भी विचार किया जाना आवश्यक है ताकि याचिकाकर्ता को बिना किसी उपाय के न छोड़ा जाए और इस विवाद्यक का निराकरण विधि के अनुसार किया जा सके।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

17. तदनुसार, रिट याचिका का निराकरण इस निर्देश और टिप्पणी के साथ किया जाता है कि दिनांक 23.02.2023 का आक्षेपित आदेश (अनुलग्नक पी–1) प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के उल्लंघन और प्रक्रियात्मक अनियमितता के आधार पर अपास्त किया जाता है।हालांकि, बाद में यह स्वीकार किए जाने के तहत कि याचिकाकर्ता को पहले ही भारत सरकार के कश्मीर केंद्रीय विश्वविद्यालय में वित्त अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जा चुका है और वह इस पद पर कार्यरत है, एनआईटी रायपुर के रजिस्ट्रार के पद पर पुनः नियुक्ति या निरंतरता के लिए कोई निर्देश जारी नहीं किया जाता है।यह स्पष्ट किया जाता है कि याचिकाकर्ता को अपनी सेवा देने के लिए इच्छित स्थान चुनने की स्वतंत्रता होगी।यदि याचिकाकर्ता अपने वर्तमान पद पर बने रहने का विकल्प चुनता है, तो इस निर्णय को उसे एनआईटी रायपुर में पुनः शामिल होने के लिए बाध्य करने वाला नहीं माना जाएगा।इसके विपरीत, यदि याचिकाकर्ता विधि के अनुसार किसी भी परिणामी लाभ का लाभ उठाना चाहता है, तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा उस पर लागू नियमों और वैधानिक प्रावधानों के अनुसार ही विचार किया जाएगा।

18. इस प्रकार रिट याचिका का उपरोक्त शर्तों के अनुसार निराकरण किया जाता है।इस पर कोई वाद व्यय देय का कोई आदेश नहीं किया जाता है।

सही/–
(अमितेंद्र किशोर प्रसाद)
न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः *हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यवहारिक*

प्रयोजनों हेतु ***निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।***

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur